


हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज</p> <p><b>देवकरण बनाम शिवनारायण देवन्दा</b></p> <p>प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 473</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
24.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2022 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(पूनम)</b>  <b>संभागीय आयुक्त,</b>  <b>जयपुर।</b> </p>	